कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद गाज़ियाबाद

दिनांक:24-03-18

टेन्डर सूचना

एo डीoआरo भवन में स्थापित मध्यस्थता केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय तथा स्थायी लोक अदालत गाज़ियाबाद में फर्नीचर, ए.सी. की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किसी कम्पनी प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मो से टेन्डर दिनांक 27-03-18 तक आमंत्रित किये जाते हैं | फर्नीचर, ए.सी से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है |

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, गाज़ियाबाद में टेन्डर 27-03-18 को सायं 4:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे | प्राप्त टेन्डर उसी दिन क्रय समिति के सामने खोले जायेंगे |

टेन्डर निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्राप्त किये जायेंगे :-

1. टेन्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है |
2. टेन्डर देने वाली फर्म द्वारा फर्नीचर एवं ए.सी का मेक एवं माडल अंकित करना अनिवार्य है |
3. सामानों की आपूर्ति, वर्क आर्डर मिलने के तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा
4. भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जायेगा | भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा |
5. टेन्डर के साथ अंकन 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट/ चेक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाज़ियाबाद के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना होगा |
6. स्वीकृतकर्ता अधिकारी (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाज़ियाबाद) को अधिकार होगा की वह किसी भी टेन्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं
7. फर्नीचर/ एoसीo के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है |

24.3.18

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाज़ियाबाद |